बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

संचिका संख्या– 15/डी 1–13/2011 पटना, दिनांक 2018

विषयः– **राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.08.2014 से चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह रू0 200/– (दो सौ) मात्र स्वीकृत करने के संबंध में।**

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1084 दिनांक 04.08.2014 द्वारा दिनांक 01.08.2014 से प्रतिमाह रूपये 200/– चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को सेवान्त लाभ राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम संख्या 5285 दिनांक 18.11.1980, संशोधित दिनांक 25.11.1982 द्वारा अनुमान्य किया गया, जिसमें चिकित्सा भत्ता के संदर्भ में विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु परिनियम के कंडिका 30 में अंकित प्रावधान निम्नवत् हैः–

" In all matters, not specifically dealt within these rules (Both Appendix 'A' and 'B') the rules and orders applicable to the employees of Government of Bihar, will apply mutatis mutandis to the employees this University."

3. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समतुल्य चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी प्राप्त अनुरोधों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.08.2014 से चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिमाह रूपये 200/– (दो सौ) मात्र स्वीकृत किया जाता है।

4. चिकित्सा भत्ता की स्वीकृति स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत संबंधित विश्वविद्यालयों के बजट शीर्ष अन्तर्गत गैर वेतन मद से की जा सकेगी।

5. यह संकल्प आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/डी 1–13/2011 पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित प्रेषित।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/डी 1–13/2011 पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/डी 1–13/2011 –2200 पटना, दिनांक 30/11/18/

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 15 एवं 14/लेखापाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

30/11/18
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

E/work2018/sankalp 18